भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

# जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

## ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना
## ग्राम – मोकिमपुर
## विकासखंड – राजमहल
## जनपद – साहिबगंज, झारखंड

| सूक्ष्म नियोजन | |
|---|---|
| ग्राम पंचायत | मोकिमपुर |
| विकासखंड | राजमहल |
| जनपद | साहिबगंज |
| राज्य | झारखंड |
| कुल बजट | 20,14,000.00 |
| क्रियान्वयन अवधि | 5 वर्ष (2020–2024) |

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

# विषय – वस्तु


| | |
|---|---|
| परिचय | 1 |
| भाग – 1 प्रस्तावना | 3 |
| भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण | 5 |
| 2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण | 5 |
| 2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक | 5 |
| 2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया | 5 |
| 2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण | 5 |
| 2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय | 6 |
| 2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति | 6 |
| 2.7 कृषि एवं पशुपालन | 6 |
| 2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण | 7 |
| 2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति | 7 |
| 2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण | 7 |
| 2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता | 7 |
| 2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी | 8 |
| 2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण | 8 |
| भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) | 9 |
| भाग – 4 समस्या विश्लेषण | 11 |
| भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य | 13 |
| भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति | 15 |
| 6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ | 15 |
| 6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण | 15 |
| 6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियाँ | 16 |

| | |
|---|---|
| 6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ | 17 |
| 6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत | 18 |
| 6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियाँ | 18 |
| 6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ | 19 |
| 6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ | 19 |
| 6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन | 20 |
| भाग – 7 व्यवहार्यता ( feasibility) विश्लेषण | 21 |
| 7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता ( feasibility) विश्लेषण | 21 |
| 7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट | 25 |
| 7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 27 |
| 7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व | 27 |
| 7.5 विवाद का निपटारा | 28 |
| 7.6 अभिलेखों का रखरखाव | 28 |
| 7.7 सफलता के सूचक | 28 |
| अनुलग्नक | |
| 1 समझौता ज्ञापन | 29 |
| 2 सामाजिक मानचित्र | 30 |
| 3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची | 31 |
| 4 फोटो गैलरी | 32 |

# मानचित्र

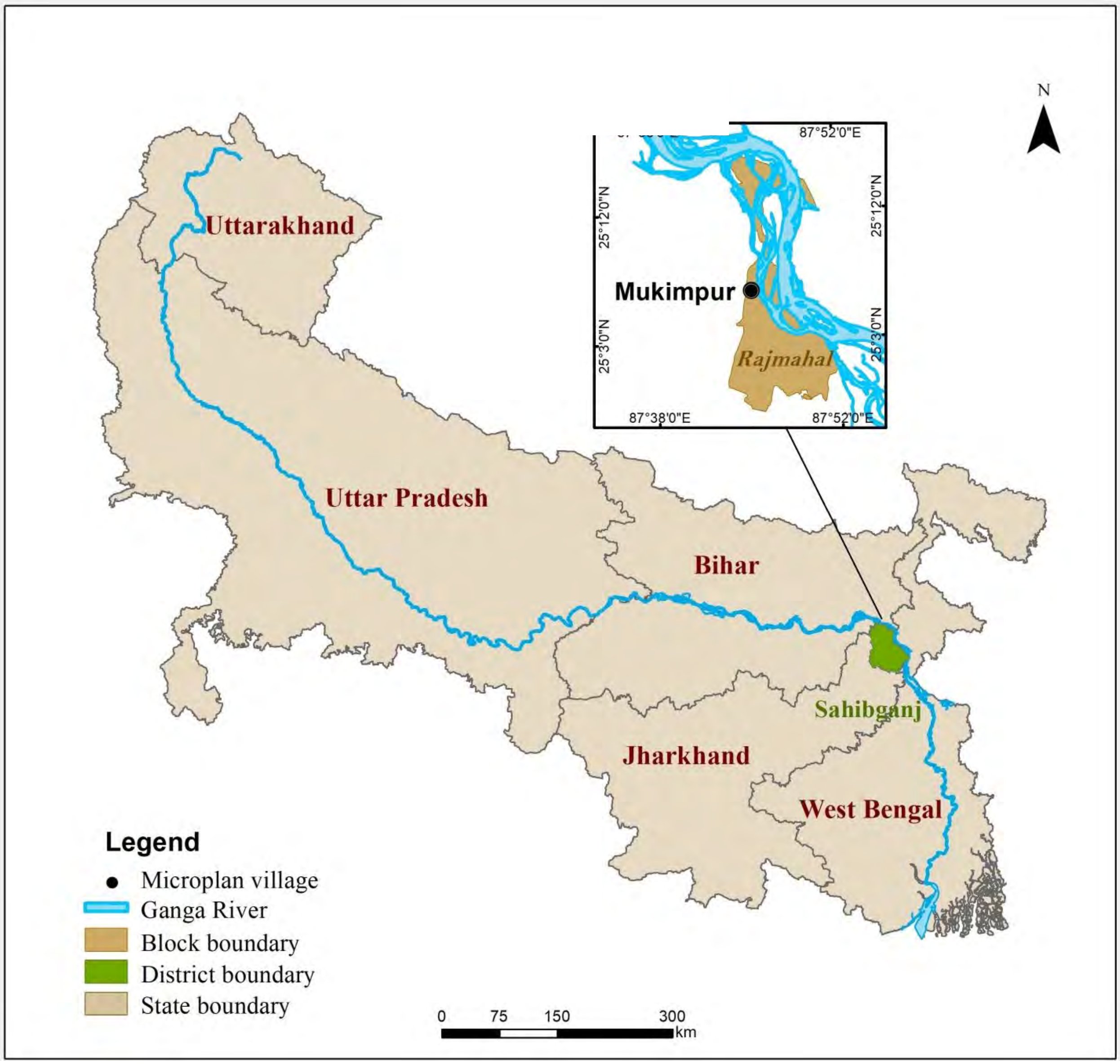

N
87°52'0"E
25°12'0"N
25°12'0"N
Mukimpur
25°3'0"N
25°3'0"N
Rajmahal
87°38'0"E
87°52'0"E
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Sahibganj
Jharkhand
West Bengal
Legend
Microplan village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0 75 150 300
km

# ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

## परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के संरक्षण हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

# सहमति पत्र

**मेरी मुर्मू**
मुखिया
ग्राम पचायत - मोकिमपुर

झारखण्ड सरकार

आवास :-
ग्राम: कमलैन बगीचा, पंचायत : मोकिमपुर, प्रखण्ड : राजमहल, जिला : साहेबगंज
मो0- 9534221579

पत्रांक 83/ सहमति-पत्र दिनांक 18/09/19

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मोकिमपुर पंचायत, जिला साहेबगंज में विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गयी है, इस योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई। ग्राम पंचायत में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

मेरी मुर्मू
मुखिया
ग्राम पंचायत - मोकिमपुर
प्रखण्ड - राजमहल
साहेबगंज

मुखिया का हस्ताक्षर

# भाग – 1 प्रस्तावना

| | |
|---|---|
| ग्राम पंचायत | मोकिमपुर |
| अवस्थिति | 25.0976 अक्षांश एवं 87.764312 देशान्तर |
| विकासखंड | राजमहल |
| जिला | साहिबगंज |
| राज्य | झारखंड |
| जिला मुख्यालय से दूरी | 29 कि0मी0 |
| तहसील मुख्यालय से दूरी | 15 कि0मी0 |
| गंगा नदी से दूरी | 0.5 कि0मी0 |
| कुल जनसंख्या | 6000 |
| कुल परिवार | 2600 |
| मुख्य जातियाँ | ब्राहमण, राजपूत, अनुसूचित जाति |

| | |
|---|---|
| मुख्य समस्याएँ | • जागरूकता की कमी, कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग<br>• धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना<br>• कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना<br>• आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता<br>• स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना |
| प्रस्तावित गतिविधियाँ | • समुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ<br>• समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण<br>• आजीविका व कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ<br>• स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ<br>• वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत<br>• जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ<br>• कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ<br>• पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ |

# भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण

## 2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत मोकिमपुर झारखंड राज्य के जनपद साहिबगंज में विकासखंड राजमहल में स्थित है। यह जिला मुख्यालय साहिबगंज से 29 कि0मी0 दूर स्थित है। राज्य की राजधानी रांची से इसकी दूरी 365 कि0मी0 है। यह स्थान जनपद साहिबगंज एवं मालदाह की सीमा पर बसा है। जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा के पास है। यहाँ का पिन कोड 816129 है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 2.5 कि0मी है। गंगा से गाँव की दूरी 500 मी0 है। यहाँ पर नदी किनारे 24 घाट स्थित हैं।

## 2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

ग्राम पंचायत मोकिमपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। गंगा मे जैवविविधिता भी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। जिनमें घड़ियाल, गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, ऊद्‌बिलाव आदि पाये जाते हैं। समुदाय की कृषि, मछली का शिकार तथा दैनिक कार्यों हेतु गंगा पर निर्भरता होने के कारण गंगा की जैवविविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण एवं जलीय जैवविविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

## 2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों की सूची के अनुसार गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम सभा के सदस्यों के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्‌देश्यों को बताया गया। गंगा के नजदीक व अधिक जन दबाव होने के कारण इस पंचायत का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्रामवासियों द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी गई।

## 2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत मोकिमपुर की कुल जनसंख्या 6000 है। यहाँ पर 2600 परिवार निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में से 3300 पुरूष एवं 2700 महिलायें हैं। जिनमें से 2000 पुरूष और 1500 महिलायें शिक्षित हैं।

यहाँ पर मुख्य रूप से ब्राहमण, राजपूत, कुम्हार, मल्लाह, मंडल एवं पासवान जाति के लोग निवास करते हैं। गाँव में 80 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत सामान्य जाति के परिवार रहते हैं। गाँव में 90 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है और 10 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं।

## 2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

मोकिमपुर में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यवर्गीय है। यहाँ पर लगभग 80 प्रतिशत (लगभग 2000) परिवार कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित हैं, 20 परिवार धार्मिक कार्य कर जीविका चलाते हैं। ग्राम पंचायत में नौकरीपेशा परिवारों की संख्या लगभग 50 है, 50 परिवार कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अन्य परिवार मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। 90 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है परंतु 10 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं। 25 प्रतिशत कृषक परिवार नदी किनारे कृषि (पालिज खेती) भी करते हैं।

## 2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत मोकिमपुर में स्वच्छ पेयजल हेतु 500 व्यक्तिगत हैंडपंप, 20 सरकारी हैंडपंप तथा 45 कुएँ हैं। पेयजल विभाग द्वारा एक पाइपलाइन योजना बनाई गई थी परंतु वह क्रियाशील नहीं है। यहाँ पर सभी परिवारों को पेयजल की उपलब्धता है।

गाँव में कुल 1600 परिवारों के पास शौचालय हैं बाकी परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं जो शौच हेतु गाँव के पास जंगल में, खेतों में तथा कभी कभी गंगा नदी के किनारे भी जाते हैं। कुल निर्मित 1600 शौचालयों में से 80 प्रतिशत शौचालय प्रयोग हो रहे हैं। बाकी शौचालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं और उपयोग की स्थिति में नहीं हैं। शौचालयों के निर्माण न होने का कारण लोगों में खुले में शौच से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के संबंध में जागरूकता की कमी एवं लोगों की मानसिकता है।

ग्राम पंचायत में ठोस कूड़ा (Solid waste) एकत्रीकरण एवं निपटान हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। समुदाय द्वारा जलाकर या खेतों में तथा इधर–उधर फेंककर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

## 2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। ग्राम पंचायत में कुल 480 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। कुल 2000 परिवार कृषि भूमि व 650 परिवार पालिज की खेती पर निर्भर हैं। गाँव में मुख्य रूप से गेहूँ, धान, मक्का, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। गंगा तट की 50 एकड़ कछार भूमि पर 650 परिवारों द्वारा मौसमी सब्जियाँ एवं मक्का आदि उगाई जाती हैं। कृषि में जैविक व रासायनिक दोनों प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रूप से D.A.P, यूरिया, पोटाश आदि का प्रयोग किया जाता है। जो स्थानीय बाजार से खरीदा जाता है। फसलों को कीटों से बचाने के लिये कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। जिनमें फेरीडोल, थाइमाइड, मेटासीन, स्टॉक आदि प्रमुख हैं। ग्राम

पंचायत में लगभग 1800 परिवार पशुपालन करते हैं। यहाँ पर कुल पशुओं की संख्या 3500 है। पशुओं के लिये चारा स्वयं के खेतों से लाया जाता है। धान की सूखी घास का प्रयोग भी चारे हेतु किया जाता है।

## 2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत गंगा का पानी है। ग्राम में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल उपलब्ध है। ग्राम पंचायत के पास 20 किमी0 के क्षेत्र में फैली जालकार झील है। ग्राम मोकिमपुर व आस पास के सभी गाँवों का वर्षा का जल वर्षाकाल में सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है। क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 1248 मिमी0 है।

## 2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

मोकिमपुर ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर स्थित है। वर्तमान में सड़क मार्ग द्वारा ग्राम पंचायत तक यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन गाँव से 13 कि0मी0 दूर राजमहल में है। इसके अलावा ग्राम संचार के साधनों में ग्राम रेडियो, टेलिफोन, मोबाइल के अतिरिक्त 5 आंगनबाड़ी केन्द्र, 2 प्राथमिक विद्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस आदि सुविधाओं की उपलब्धता है।

## 2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

ग्राम पंचायत के आसपास साल, जामुन, कटहल, गम्भर, महुआ, शीशम आदि वन सम्पदा पायी जाती है। समुदाय द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। यहाँ पर गंगा नदी की जैवविवधिता भी प्रचुर मात्रा में है जिनमें घड़ियाल, गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ, ऊद्बिलाव आदि पाये जाते हैं।

## 2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक गतिविधियों, नौकायन, मछली का शिकार, कृषि, पॉलिज हेतु गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में 130 परिवार मछली का शिकार कर अपनी आजीविका चलाते हैं। मल्लाह जाति के 5 परिवार नाविक के रूप में भी गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि व पशुओं के लिये

जल हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। मोकिमपुर में कुल कृषि भूमि 480 हेक्टेयर है जिसमें 2000 परिवार कृषि करते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित लगभग 50 एकड़ कछार भूमि पर ग्राम पंचायत के 650 परिवारों के द्वारा पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से धान, गेंहूँ मक्का, दालें एवं सब्जियाँ आदि बोई जाती हैं। गंगा किनारे कृषि कार्यों, मछली के शिकार, फसलों की सिंचाईं के अतिरिक्त घरेलू कार्यों हेतु पानी के लिये गंगा पर लोगों की निर्भरता है।

## 2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

ग्राम पंचायत मोकिमपुर से 20 कि0मी0 की दूरी पर स्थित जालकार झील संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर स्थित है यहाँ पर सड़क के किनारे वन विभाग द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है। गाँव के पास 30 एकड़ भूमि में फैली जालकर झील स्थित है। जलीय जैवविविधता के संरक्षण हेतु अन्य कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया गया है। यहाँ पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति गठित है जिसमें कुल 70 सदस्य हैं जिसमें से 40 पुरूष एवं 30 महिलायें हैं परंतु समिति सक्रिय नहीं है।

## 2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

| क्रम सं0 | कार्यक्रम का नाम | गठित संस्था का नाम | कार्यक्रम का विवरण | लाभार्थियों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | स्वंय सहायता समूह (60) | प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार | 300 | समूह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। |
| 2. | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | आशा | महिला एवं बाल स्वास्थ्य | 01 कार्यकर्ता | |
| 3 | समेकित बाल विकास योजना | आंगनबाड़ी | 5 आंगनबाड़ी केन्द्र | 200 | |
| 4 | ग्राम स्तरीय समिति | ग्राम स्वच्छता समिति, कमल क्लब | स्वच्छता एवं युवाओं के लिये खेल आदि | .. | |

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में कृषि, भूमि संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, मत्स्य पालन विभाग द्वारा आवास योजना आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

# भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्रामीण समुदाय से कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

1– मल्लाह समुदाय

2– धार्मिक समूह

3– व्यापारीगण

4– विद्यार्थी समुदाय

5– कृषक

6– महिलायें एवं युवतियाँ

7– समुदाय आधारित संस्थायें – स्वंय सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्वच्छता समिति, कमल क्लब, जैवविविधता प्रबन्धन समिति।

8– विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।

9– केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्सम्बंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

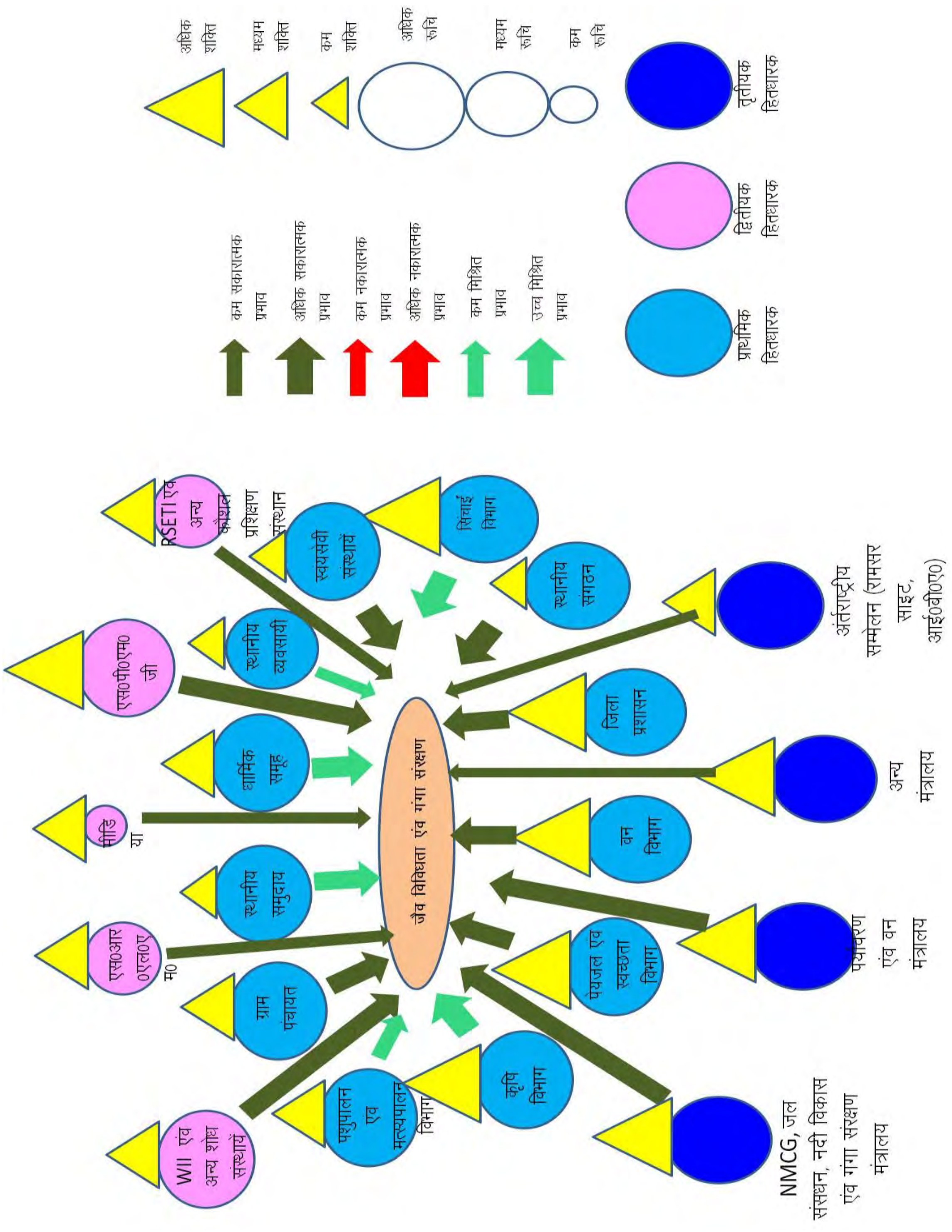


**चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण**

# भाग – 4 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत मोकिमपुर के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि कार्यों एंव पशुपालन पर है। यहाँ पर 480 एकड़ कृषि भूमि के साथ ही 50 एकड़ गंगा के द्वारा छोड़ी गयी कछार भूमि पर कृषि की जाती है जो लगभग 2000 परिवारों के लिये आजीविका का स्रोत है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रसायनिक खादों व कीटनाषक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। कृषि में मुख्य रूप से यूरिया, D.A.P, पोटाश आदि एवं फेरीडाल, थायमाइड, स्टॉक, मेटासीन आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुँचाते हैं।

गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण ग्रामवासी यहाँ पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें, कैलेण्डर, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे नहाने, कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, वाहनों को धोने आदि के लिये गंगा किनारे पर आते हैं जिससे गंदे पानी के प्रवाह, साबुन के प्रयोग आदि से गंगा जल प्रदूषित होता है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा कपड़े, पॉलीथीन व अन्य सामग्री गंगा के किनारे छोड़ दिये जाते हैं जो गंगा के प्रदूषण का कारण है।

यहाँ पर कुल 5 प्रतिशत परिवारों द्वारा मछली पकड़कर जीवनयापन किया जाता है। जिनके द्वारा जागरूकता के अभाव में बारीक जाल (Mosquito net), करेंट (Electricity current) आदि का प्रयोग किया जा रहा है। आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

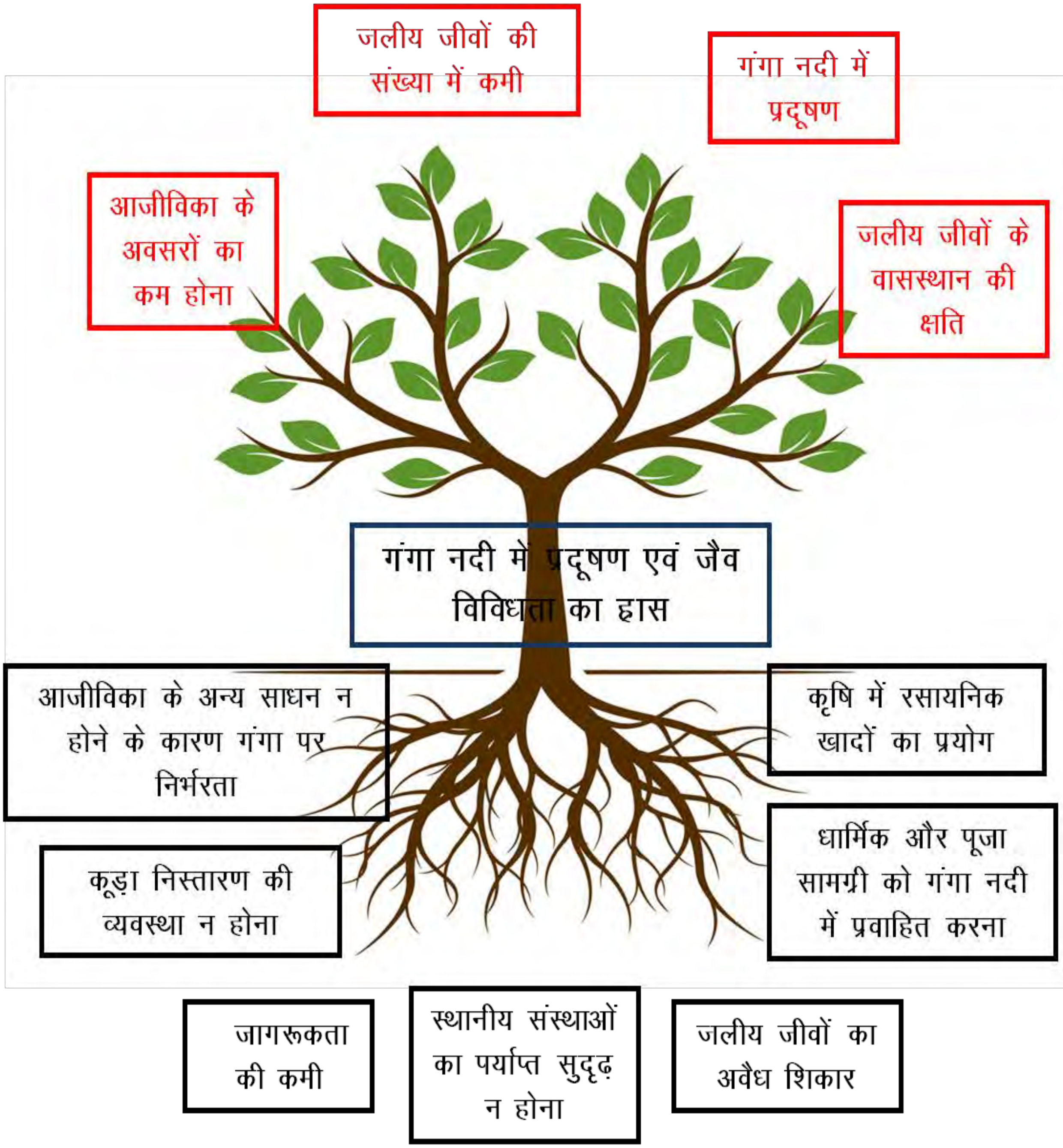


**चित्र – 2 समस्या वृक्ष**

# भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

## दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

## अल्पकालीन उद्देश्य

2. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
3. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

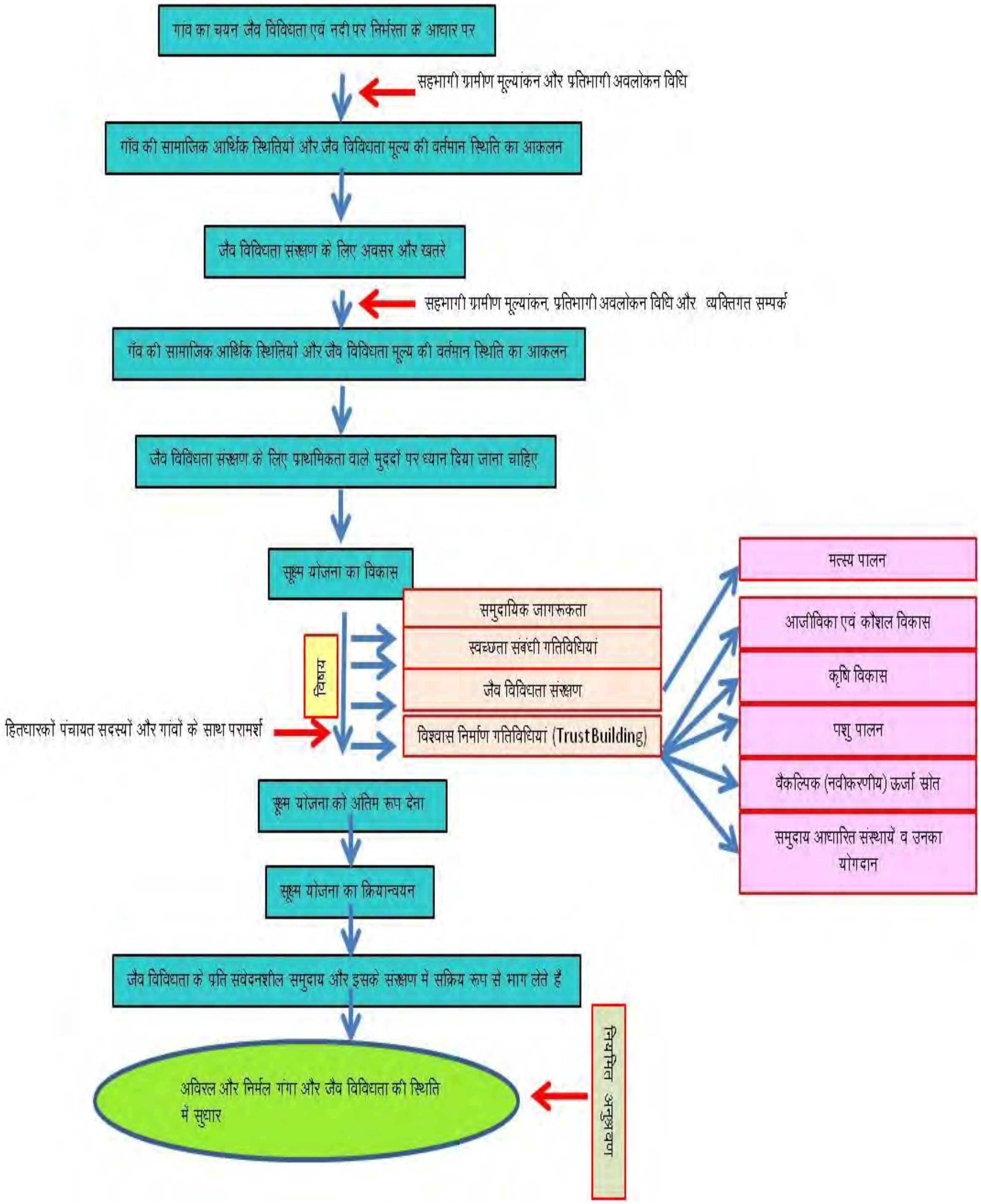


**चित्र – 1 नियोजन की प्रक्रिया**

# भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति

## 6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता से कार्य करने एवं किये गये कार्यों की सततता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हो।

समुदाय की गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही इस कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वयं उस कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदाय में बैठकों और चर्चा के बाद गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन संबंधी जागरूकता गतिविधियाँ करने पर सहमति बनी। सामुदायिक जागरूकता हेतु मोकिमपुर में निम्न गतिविधियाँ की जायेंगी।

1. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
2. समुदाय के साथ समय–समय पर गंगा एवं जैवविविधता संरक्षण पर चौपाल का आयोजन।
3. समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
4. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
5. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
6. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

## 6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सक्रिय संस्थायें किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। मोकिमपुर ग्राम पंचायत में दो स्वयं सहायता समूह गठित हैं परंतु सक्रिय नहीं है कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें कर समूह के सदस्यों को जैवविविधता संरक्षण के लिये जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें

अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की माँग समुदाय द्वारा की गई है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगें। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं –

1. समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।
2. समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के गठन हेतु कार्य करना।
3. समूह के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
5. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
6. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं उन्हें कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

### 6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां

गंगा किनारे स्थित अन्य ग्रामों की भांति मोकिमपुर में भी समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता है। समुदाय नौकायन, घाट पर धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज), मछली के शिकार एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु गंगा पर निर्भर हैं। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पर पड़ने वाले खतरों को बताते हुये उनके विकल्पों के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी प्रभाव न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रहे। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को सतत आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा।

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जायेंगी –

1. बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।
3. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।

4. उपरोक्त प्रशिक्षणों हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।
5. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।
6. अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
7. महिलाओं एवं युवाओं हेतु विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना विशेषकर स्थानीय फलों एवं अनाजों से विभिन्न उत्पाद तैयार कर उनका मूल्य संवर्धन किया जायेगा।
8. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।

### 6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत मोकिमपुर में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परंतु घाट एवं गंगा तट पर सार्वजनिक शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण समस्या बनी हुई है। 2600 परिवारों में से 1600 परिवारों के पास ही शौचालय हैं बाकी खेतों में या बाहर शौच के लिये जाते हैं। ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठित ग्राम स्वच्छता समिति, कमल क्लब व गंगा प्रहरियों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. कूड़ेदान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर स्वच्छता अभियान करना।
5. ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।
6. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।

### 6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

मोकिमपुर ग्राम पंचायत में 80 प्रतिशत परिवार पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

1. संबंधित विभाग के साथ मिलकर सौर उर्जा व उसके प्रयोग पर जागरूकता हेतु बैठकों का आयोजन।
2. सौर उर्जा उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।
3. किसानों को बैठकों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।

### 6.1.6 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

गाँव में गठित जैवविविधता प्रबन्धन समिति को सक्रिय कर उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का प्रयास किया जायेगा। समिति को स्थलीय जैवविविधता संरक्षण के साथ साथ गंगा की जैवविविधता के संरक्षण के लिये प्रेरित व प्रशिक्षित किया जायेगा।

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध है। उन्हें गंगा घाटों में मेले, स्नान, पर्व के समय लोगों द्वारा घाटों में अनावश्यक गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जायेगी। ये गंगा प्रहरी मोकिमपुर एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगे साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगें जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं :–

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में जैवविविधता प्रबन्धन समिति एवं समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबन्धन समिति को सक्रिय कर गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु प्रशिक्षित करना।
3. गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में जैवविविधता प्रबन्धन समिति की भूमिका को सुनिश्चित करना।

4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

## 6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिसका एक बड़ा भाग गंगा के किनारे स्थित है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रसायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है।

1. रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।
6. इसी के साथ साथ नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय बना का ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना।

## 6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत मोकिमपुर में 70 प्रतिशत परिवार पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। ग्राम पंचायत में लगभग 3500 पशु हैं जिनके लिये खेतों से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
2. ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमे पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।

3. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।
4. बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

## 6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

| क्रम सं0 | गतिविधि | विभाग |
|---|---|---|
| 1. | ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना। | ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान |
| 2. | वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण | वन विभाग |
| 3 | कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण | ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, WISE, HESCO आदि |
| 4. | उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण | कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ |
| 5. | वैकल्पिक ऊर्जा | झारखंड नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि |

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

# भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवष्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

| क्रम सं0 | प्रस्तावित गतिविधि | व्यवहार्यता |
|---|---|---|
| 1. | जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 2 | समुदाय के साथ समय–समय पर गंगा एवं जैवविविधता संरक्षण पर चौपाल का आयोजन। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 3 | समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 4 | ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 5 | विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 6 | गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 7 | समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 8 | समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के गठन हेतु कार्य करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 9 | समूह के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 10 | समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 11 | समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व |

| | | |
|---|---|---|
| | शामिल करना। | आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 12 | सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 13 | बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 14 | समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 15 | स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 16 | प्रशिक्षणों हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 17 | प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 18 | अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 19 | महिलाओं एवं युवाओं हेतु विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना विशेषकर स्थानीय फलों एवं अनाजों से विभिन्न उत्पाद तैयार कर उनका मूल्य संवर्धन किया जायेगा। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 20 | स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 21 | बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व |

| | | |
|---|---|---|
| | स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना। | आर्थिक रूप से व्यवहार्य । |
| 22 | जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 23 | जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 24 | कूड़ेदान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर स्वच्छता अभियान करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 25 | ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य परंतु तकनीकी व बजट हेतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 26 | गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 27 | संबंधित विभाग के साथ मिलकर सौर उर्जा व उसके प्रयोग पर जागरूकता हेतु बैठकों का आयोजन। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 28 | किसानों को बैठकों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना। | विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 29 | गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में जैवविविधता प्रबन्धन समिति एवं समुदाय को जागरूक करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 30 | पंचायत स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबन्धन समिति को सक्रिय कर गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु प्रशिक्षित करना। | विभागीय व सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 31 | गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में जैवविविधता प्रबन्धन समिति की भूमिका को सुनिश्चित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी। |
| 32 | वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता |

| | | |
|---|---|---|
| | | होगी। |
| 33 | गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 34 | रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 35 | जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य । |
| 36 | जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी। |
| 37 | उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी। |
| 38 | किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी। |
| 39 | नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय कर ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी। |
| 40 | ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकापार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। |
| 41 | ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमे पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 42 | विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी। | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |
| 43 | बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु | सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु |

| | | |
|---|---|---|
| | जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। | विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |

## 7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम मोकिमपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

| **बजट मोकिमपुर** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं0** | **गतिविधि** | **संख्या** | **दर** | **कुल राशि** |
| **1** | **सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ** | | | |
| **I** | जैवविविधता संरक्षण पर जागरूकता रैली | 5 | 10000 | 50000 |
| **Ii** | नुक्कड़ नाटक | 5 | 20000 | 100000 |
| **iii** | दीवार लेखन | 50 | 500 | 25000 |
| **iv** | घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना | 4 | 10000 | 40000 |
| **v** | समुदाय के साथ समय समय पर गंगा एवं जैवविविधता संरक्षण पर चौपाल का आयोजन | 5 | 10000 | 50000 |
| **vi** | जलीय जीवों के संरक्षण में जैवविविधता प्रबन्धन समिति की भूमिका पर बैठक | 10 | 5000 | 50000 |
| **vii** | विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना | 10 | 5000 | 50000 |
| **viii** | जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदायिक जागरूकता हेतु बैठक | 5 | 5000 | 25000 |
| | **कुल** | | | **390000** |
| **2** | **कार्यशाला एवं प्रशिक्षण** | | | |
| **i** | जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण | 4 | 30000 | 120000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ii | समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को गंगा नदी की जैवविविधता एवं उसके संरक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। | 4 | 30000 | 120000 |
| iii | आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन | 4 | 100000 | 400000 |
| iv | प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन | 2 | 20000 | 40000 |
| v | सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु विभाग के साथ समुदाय के लिये कार्यशाला का आयोजन | 1 | 50000 | 50000 |
| vi | गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन | 2 | 50000 | 100000 |
| vi | जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण | 1 | 50000 | 50000 |
| vii | उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से) | 1 | 50000 | 50000 |
| | **कुल** | | | **930000** |
| **3** | **प्रदर्शन एवं निर्माण** | | | |
| i | प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण | 2 | 20000 | 40000 |
| ii | उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन (Demonstration) | 1 | 50000 | 50000 |
| iii | पशु चिकित्सा शिविर | 4 | 10000 | 40000 |
| iv | सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियाँ शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड | | | 50000 |
| v | स्वच्छता अभियान का आयोजन | 12 | 2000 | 24000 |
| vi | गाँव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना) | 10 | 8000 | 80000 |
| v | गंगा किनारे वृक्षारोपण | | | 20000 |
| vi | बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण | | | 50000 |
| | **कुल** | | | **354000** |
| **4** | **मानवशक्ति एवं यात्राव्यय** | | | |
| i | फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष हेतु) | 1 | 10000 | 240000 |
| ii | यात्रा व्यय | | | 100000 |
| | | | | **340000** |
| | | | **कुल (1+2+3+4)** | **2014000** |

## 7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समूहों, ग्राम स्तरीय समिति एवं गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स के भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगें।

## 7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

**राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ( एन0एम0सी0जी ) एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान टीम**

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

**समुदाय**

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय–समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

## 7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

## 7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणर्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

## 7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदाय एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहाँ पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय गंगा जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वंय गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई है।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

# अनुलग्नक – 1

**समझौता ज्ञापन**

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Panchayati Raj

नमामि गंगे

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना " जैव विविधता और गंगा संरक्षण " इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से,गंगा नदी की जलीय प्रजातियो के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलो द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ग्राम पंचायत (......मोकिमपुर......) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 04/07/19 दिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यो को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1– स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए,गंगा प्रहरी का सृजन।

2– घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सक्रिय भागीदारी,विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।

3– नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ का दीर्घकालिक उपयोग।

4– सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान –विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते है।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
नाम – डा. रुचि बडोला

शीर्षक– परियोजना समन्वयक,
भारतीय वन्यजीव
संस्थान

दिनांक –

मेरी मुर्मू
मुखिया
ग्राम पंचायत - मोकिमपुर
प्रखण्ड - राजमहल

पंचायत की ओर से हस्ताक्षर

हस्ताक्षर –
नाम –

शीर्षक –

दिनांक –

# अनुलग्नक – 2

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत मोकिमपुर

# अनुलग्नक – 3

## सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

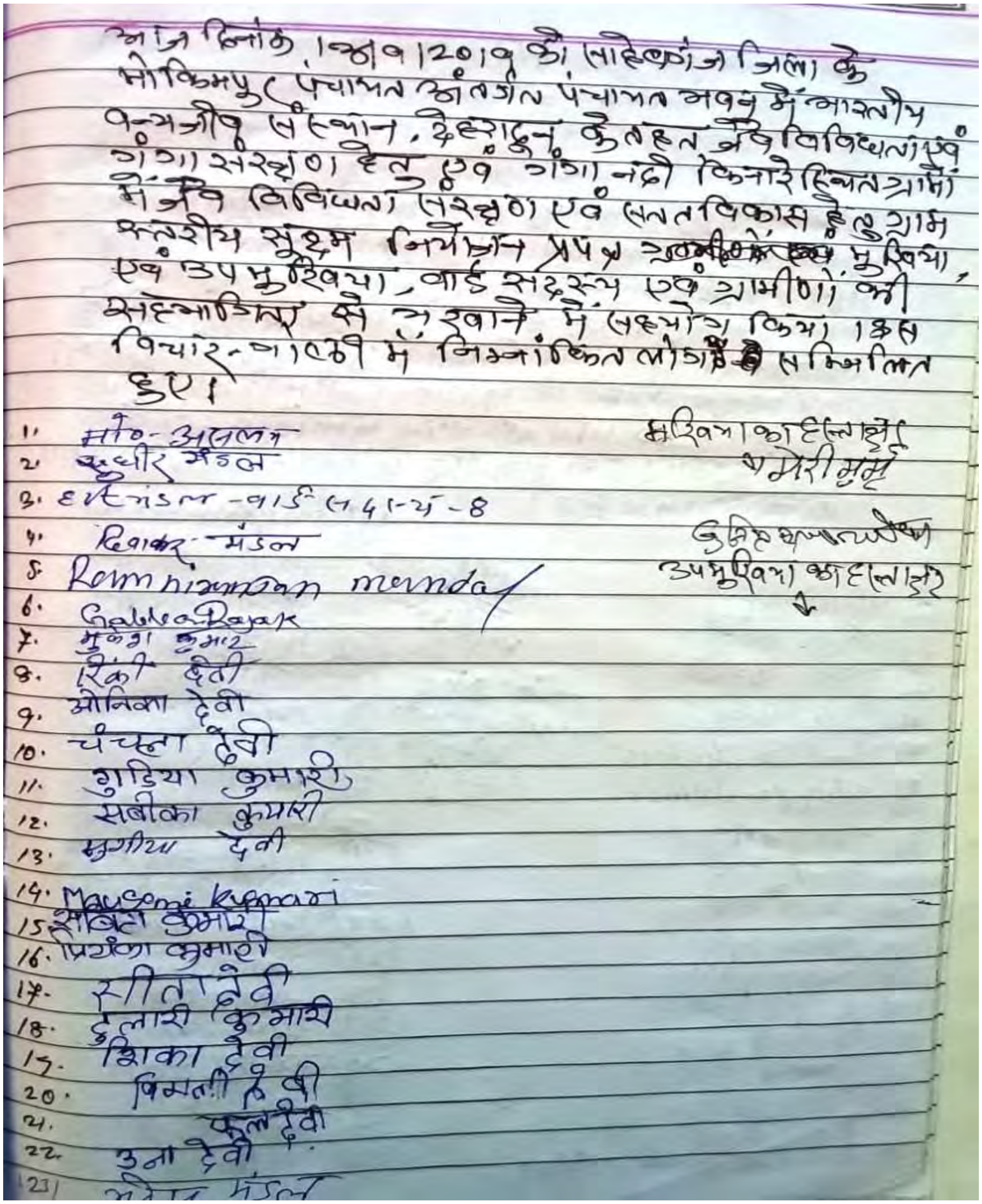

आज दिनांक 13/9/2019 को साहेबगंज जिला के मोकिमपुर पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तहत जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण हेतु एवं गंगा नदी किनारे स्थित ग्रामों में जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र [illegible] मुखिया, एवं उपमुखिया, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों की सहभागिता से बनाने में सहयोग किया। इस विचार-गोष्ठी में निम्नांकित लोग सम्मिलित हुए।

1. मो० असलम
2. सुधीर मंडल
3. [illegible] वार्ड सदस्य-8
4. [illegible] मंडल
5. Ram niranjan mandal
6. [illegible] Rajak
7. मुकेश कुमार
8. रिंकी देवी
9. मोनिका देवी
10. चंचला देवी
11. गुड़िया कुमारी
12. सबीना कुमारी
13. सुगीया देवी
14. Mausami Kumari
15. सविता कुमारी
16. प्रियंका कुमारी
17. सीता देवी
18. दुलारी कुमारी
19. शिखा देवी
20. बिमली देवी
21. फूल देवी
22. [illegible] देवी
23. [illegible] मंडल

मुखिया का हस्ताक्षर [illegible]

उपमुखिया का हस्ताक्षर [illegible]

# फोटो गैलरी

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

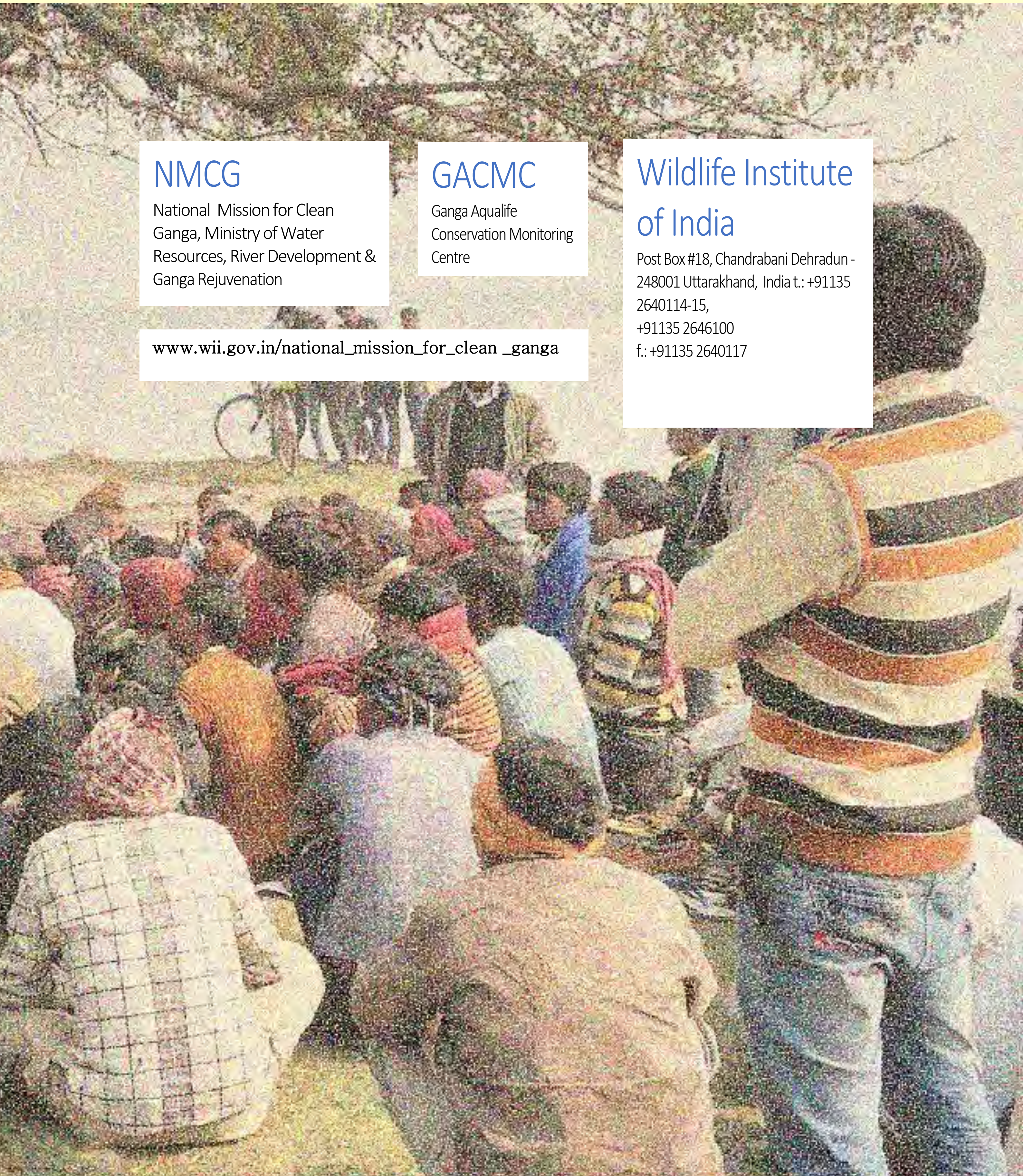

## NMCG

National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

## GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

## Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani Dehradun - 248001 Uttarakhand, India t.: +91135 2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga